पर्यवेक्षण विभाग DEPARTMENT OF SUPERVISION
तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM

समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु निविदा - "भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना कुछ सहकारी समितियों द्वारा 'बैंक' शब्द का प्रयोग"– 01 जुलाई 2026 (बुधवार)

निविदा नं.: आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/रीजनल ऑफिस/आतेर्स/3/2026-27/ईटी/146[Advt usage of word bank co-op]

क्रम.सं.	गतिविधि	तिथि
1	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल में निविदा उपलब्ध होने की तिथि	04 जून, 2026 गुरुवार को अपराह्न 03:00 बजे से
2	बोली लगाना आरंभ होने की तिथि	05 जून, 2026 शुक्रवार को अपराह्न 03:00 बजे तक
3	निविदा जमा करने की नियत तिथि	22 जून 2026 सोमवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
4	निविदा खोलने की तिथि	22 जून 2026 सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे

अस्वीकरण

पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, तिरुवनंतपुरम ने इच्छुक पक्षों को परियोजना की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी की तैयारी में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानते हैं, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसियों और न ही इसके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से किसी ने भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी या कोई प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्त या निहित, प्रदान की है।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करने होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल आरबीआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या परामर्शदाता के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक परियोजना को आगे न बढ़ाने या परियोजना के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पार्टी के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

टिप्पणी :

सभी निविदाकारों को कोट प्रस्तुत करने से पहले, प्रत्येक मद के तहत कार्य के विवरण के लिए इस दस्तावेज़ के भाग II में दी गई मदों को संदर्भित करना आवश्यक है।

प्रत्येक मद के लिए दर, सभी लागू करों सहित कोट की जानी है।

पर्यवेक्षण विभाग DEPARTMENT OF SUPERVISION
तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन हेतु निविदा - "भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना कुछ सहकारी समितियों द्वारा 'बैंक' शब्द का प्रयोग" - 01 जुलाई 2026 (बुधवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम **"भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के बिना कुछ सहकारी समितियों द्वारा 'बैंक' शब्द का प्रयोग"** के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है। उक्त विज्ञापन **बुधवार**, **01 जुलाई 2026 को (एक अंग्रेजी और दो मलयालम दैनिक में)** केरल के सभी संस्करणों में प्रकाशित किया जाएगा (अनुबंध 1 से 3 में नमूना संलग्न)। निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी लिमिटेड के ई-निविदा पोर्टल (www.mstcecommerce.com/eprocn) के माध्यम से संलग्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार की जाएगी। ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी पात्र और इच्छुक कंपनियों / एजेंसियों / फर्मों को उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ अपना पंजीकरण कराना होगा। ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ई-निविदा संख्या	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/रीजनल ऑफिस/आतेर्स/3/2026-27/ईटी/146[Advt usage of word bank co-op]
a) निविदा की अनुमानित लागत	**₹13,00,000/-** (**सिर्फ तेरह लाख रुपये**) (जीएसटी और सभी लागू शुल्क सहित)
b) ई-निविदा का माध्यम	www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ई-निविदा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम मूल्य बोली का तरीका
c) ई-निविदा का प्रकार	सीमित
d) पार्टियों को डाउनलोड करने के लिए एनआईटी उपलब्ध होने की तिथि	04 जून, 2026 गुरुवार को अपराह्न 03:00 बजे से
e) www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन मूल्य बोली जमा	05 जून, 2026 शुक्रवार को अपराह्न 03:00 बजे तक

	करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	
f)	मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22 जून 2026 सोमवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
g)	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	22 जून 2026 सोमवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे
h)	ई-निविदा की वैधता	मूल्य बोली खोलने की तारीख से 90 दिन
i)	लेनदेन शुल्क (अप्रतिदेय)	एमएसटीसी पोर्टल में एमएसटीसी भुगतान गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित किए गए अनुसार लेनदेन शुल्क का भुगतान।

2. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

3. विक्रेता द्वारा किसी शर्त के साथ कोट किए गए, कोई भी कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कोटेशन को बैंक के विवेक पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. भविष्य में जारी निविदा में संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट जैसा कि ऊपर दिया गया है, पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

तिरुवनंतपुरम और लक्षद्वीप

शर्तें एवं निबंधन:

1. यह निमंत्रण, समाचार पत्रों में विज्ञापन (अनुबंध 1 से 3 में संलग्न प्रारूप नमूना) के प्रकाशन के लिए है। उक्त विज्ञापन **बुधवार**, **01 जुलाई 2026** को **एक अंग्रेजी और दो मलयालम दैनिक** में **केरल के सभी संस्करणों** में प्रकाशित किया जाना है। विज्ञापन में प्रकाशित की जाने वाली सामग्री अनुबंध 1 से 3 में संलग्न है।

2. इस ई-निविदा प्रक्रिया में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल में शामिल विक्रेताओं को ही भाग लेने की अनुमति है।

3. जिन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है उनकी सूची नीचे दी गई है:

भाषा	**समाचार पत्र**
मलयालम और हिंदी	मातृभूमि, मलयाला मनोरमा
हिंदी और अंग्रेजी	द हिंदू

4. विज्ञापन को मातृभूमि में मलयालम और हिंदी भाषा के लिए 16.2 (चौड़ाई) *25(ऊंचाई) सेमी (लगभग) आकार में, मलयाला मनोरमा में मलयालम और हिंदी भाषा के लिए 16.3(चौड़ाई)*25(ऊंचाई) सेमी (लगभग) आकार में और द हिंदू में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए 16(चौड़ाई)*25(ऊंचाई) सेमी (लगभग) आकार में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

5. यह नोट किया जाए कि सबसे कम कोटेशन का चयन किया जाएगा और L1 को प्रदान किया जाएगा।

6. विज्ञापन एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि विज्ञापन का स्थान **आकर्षक होना चाहिए और समाचार पत्र के मुख्य भाग में तीसरे पृष्ठ या पांचवें पृष्ठ पर दिखाई देना चाहिए** न कि पूरक में। फ़ॉन्ट का आकार ऐसा होना चाहिए कि वह आसानी से पढ़ा जा सके।

7. बोलीदाता अपना पूरा नाम, ई-मेल, संपर्क नंबर और फर्म/एजेंसी का पता प्रदान करेंगे।

8. विक्रेताओं को भारतीय रुपये में सभी लागू करों सहित प्रति वर्ग सेमी दरों के लिए कोट प्रस्तुत करना आवश्यक है। **इस संबंध में बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

9. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

10. विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति के साथ बिल जमा करने और रद्द चेक के साथ एनईएफटी मैंडेट फॉर्म को पूरी तरह से भरने पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, भुगतान लागू शुल्क की कटौती के बाद किया जाएगा।

11. शर्तों एवं निबंधनों और विज्ञापन की सामग्री में कोई भी परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक के विशेषाधिकार होंगे और सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होंगे।

मूल्य बोली

प्रत्येक मद के लिए दर सभी लागू करों सहित कोट की जानी है।

संख्या	**कार्य का विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**विज्ञापन की तिथि**	**प्रति वर्ग सेमी दर (सभी करों सहित - रुपये में)**
1	मातृभूमि में मलयालम भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध **3** में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) **(**दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.2 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	
2	मातृभूमि में हिंदी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 2 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.2 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) **(**दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है।)	प्रति वर्ग सेमी	16.2 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	
3	मलयालम मनोरमा में मलयालम भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध **3** में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) **(**दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.3 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	
4	मलयालम मनोरमा में हिंदी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 2 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16.3 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) **(**दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16.3 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	
5	द हिंदू में हिंदी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 2 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) **(**दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	

6	द हिंदू में अंग्रेज़ी भाषा में विज्ञापन, जैसा कि अनुबंध 1 में दिया गया है - सभी केरल संस्करणों में आकार 16 सेमी (चौड़ाई) * 25 सेमी (ऊँचाई) (दर प्रति वर्ग सेमी में उद्धृत की जानी है)	प्रति वर्ग सेमी	16 सेमी (चौड़ाई)* 25 सेमी (ऊंचाई)	01 जुलाई 2026 – बुधवार (सभी केरल संस्करण)	

अनुबंध I

Reserve Bank of India

Reserve Bank of India

Caution against various Co-operative societies using the word "Bank" in their names

The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act, 1949) was amended by the Banking Regulation (Amendment) Act, 2020 (Act 39 of 2020) which came into force on September 29, 2020. Accordingly, co-operative societies cannot use the words "bank", "banker" or "banking" as part of their names, except as permitted under the provisions of BR Act, 1949.

It has come to the notice of RBI that some co-operative societies are using the word "Bank" in their names in violation of Section 7 of the Banking Regulation Act, 1949 (As Applicable to Co-operative Societies) (the BR Act, 1949).

It has also come to the notice of RBI that some co-operative societies are accepting deposits from non-members/ nominal members/ associate members which tantamount to conducting banking business in violation of the provisions of the BR Act, 1949.

Members of the public are hereby informed that such co-operative societies have not been issued any licence under BR Act, 1949 by the RBI for carrying out banking business. The insurance cover from Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is also not available for deposits placed with these societies. Members of public are advised to exercise caution and carry out due diligence in respect of such co-operative societies if they claim to be a bank, and check whether they have banking license issued by RBI before dealing with them.

The list of Urban Co-operative Banks regulated by RBI can be accessed from the below link: https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/BanksInIndia.aspx

अनुबंध II

भारतीय रिज़र्व बैंक

विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उनके नामों में “बैंक” शब्द का प्रयोग करने के विरुद्ध सतर्क करना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम 39) द्वारा संशोधित किया गया था, जो 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ। तदनुसार, सहकारी समितियां बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत दी गई अनुमति के अलावा उनके नामों में "बैंक", "बैंकर" या "बैंकिंग" शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

आरबीआई के संज्ञान में यह आया है कि कुछ सहकारी समितियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) (बीआर अधिनियम, 1949) की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए अपने नामों में "बैंक" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

आरबीआई के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ सहकारी समितियां गैर-सदस्यों/नाममात्र के सदस्यों/सहयोगी सदस्यों से जमा स्वीकार कर रही हैं जो बीआर अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बैंकिंग कारोबार करने के समान है।

जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसी समितियों को बीआर अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई द्वारा बैंकिंग कारोबार करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है । इन समितियों में रखी गई जमा राशि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की बीमा सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। जनता को सूचित किया जाता है कि वे ऐसी सहकारी समितियों, जो बैंक होने का दावा करते हैं, से सतर्क रहें एवं उचित सावधानी बरतें तथा उनके साथ कोई भी लेन-देन करने से पहले आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस देखें।

आरबीआई द्वारा विनियमित शहरी सहकारी बैंकों की सूची नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है: https://www.rbi.org.in/commonperson/Hindi/Scripts/BanksInIndia.aspx

Annex III

ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക്

വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അവരുടെ പേരിൽ "ബാങ്ക്" എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

2020 സെപ്റ്റംബർ 29-ന് നിലവിൽ വന്ന ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2020 (2020-ലെ നിയമം 39) മുഖേന 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ നിയമം (ബിആർ ആക്ട്, 1949) ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തദനുസരണം, ബിആർ ആക്ട്, 1949-ലെ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ "ബാങ്ക്", "ബാങ്കർ", അഥവാ "ബാങ്കിംഗ്" എന്ന വാക്കുകൾ അവരുടെ പേരുകളുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.

1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ നിയമത്തിന്റെ (കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധകമായത്) (ബിആർ ആക്ട്, 1949) സെക്ഷൻ 7 ലംഘിച്ച് ചില സഹകരണ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പേരിൽ "ബാങ്ക്" എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ആർബിഐയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

1949-ലെ ബിആർ ആക്ട്-ന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച്, ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് തത്തുല്യമായി ചില സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, അംഗങ്ങൾ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും / നാമമാത്ര അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും /അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതായും ആർബിഐയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മേൽപറഞ്ഞ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് ബിആർ ആക്ട്, 1949 പ്രകാരം ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന് ആർബിഐ ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പൊതുജനങ്ങളെ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപ്പറേഷന്റെ (ഡിഐസിജിസി) ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും ലഭ്യമല്ല. അത്തരം സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ഒരു ബാങ്കാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും, ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ആർബിഐ നൽകിയ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനും പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ആർബിഐ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ പട്ടിക ചുവടെയുള്ള ലിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്: https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/BanksInIndia.aspx

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण नोटिस को ध्यान से पढ़ें ।

1.	**ई-निविदा की प्रक्रिया:** पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी। बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। ई-निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन वाणिज्यिक प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी / आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। 1. विक्रेताओं को www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो चुनें → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें → विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें। 2. विक्रेताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ई-मेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें। **संपर्क व्यक्ति (आरबीआई)** 1. श्रीमती. लक्ष्मी एम एल (सहायक महाप्रबंधक), पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम Ph. No.- 0471-2783131/ Email: (lakshmiml@rbi.org.in) 2. श्री संतोष कुमार एस (सहायक प्रबंधक), पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम Ph. No.- 0471-2783238/8838326056 / Email: (ssanthoshkumar@rbi.org.in)

	<u>संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):</u> 1. एमएसटीसी, कार्यालय पता: प्रथम तल, वन केंद्रीय पुस्तकालय भवन, केरल वन मुख्यालय, वषुत्तकॉड, तिरुवनंतपुरम - 695014, mstctvm@mstcindia.co.in, फ़ोन: 0471-2529137 2. श्री संतोष कुमार- skrajendran@mstcindia.co.in मोबाइल: 8884600700 3. श्री सुशील नाले, सहायक प्रबंधक - sushil@mstcindia.co.in मोबाइल- 09987758460 4. सुश्री अर्चना, सहायक प्रबंधक- archana@mstcindia.co.in मोबाइल- 09990673698 5. सुश्री रूपाली पांडे, कार्यकारी- rpandey@mstcindia.co.in फ़ोन- 022 22886268 6. श्री तेजस वी, कार्यकारी tejasv@mstcindia.co.in फ़ोन- 022 22822789 गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए)- mstceproc@gmail.com ई-मेल हेल्प डेस्क- helpdesk@mstcindia.co.in **B) सिस्टम आवश्यकताएँ:** i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम ii) IE-7 और उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। iii) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल हस्ताक्षर iv) नवीनतम अपडेट किया गया JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर, जिसे सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। DSC को हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए, निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं।

	टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => यदि सक्षम है, तो सुरक्षित मोड अक्षम करें - अर्थात, "सुरक्षित मोड सक्षम करें" वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें। अन्य सेटिंग्स: टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएँ" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता/जाती हूँ" सक्रिय करें। सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स→ इंटरनेट विकल्प→ कस्टम स्तर के अंतर्गत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया www.mstcecommerce.com पृष्ठ से IE सेटिंग्स एक बार चलाएँ)
2.	**लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:** विक्रेताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट ई-निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। विक्रेता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि बिना किसी बदलाव के जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने पर, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा, और विक्रेता को सिस्टम द्वारा एक मेल प्राप्त होगा। **लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच नहीं मिलेगी। **नोट:** बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेन-देन शुल्क जमा कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
3.	अपलोड किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की जानकारी केवल आरबीआई/एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कार्य आदेश आवंटन सहित अन्य संचार प्रदान की गई ईमेल आईडी के माध्यम से किए जाएँगे। विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी में विक्रेता पंजीकरण के समय प्रदान की

	गई उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
4.	**ई-निविदा में बोली लगाना**: क) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र होने के लिए विक्रेता(ओं) को आवश्यक ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। **ई-निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क वापस नहीं किए जाएँगे।** ख) इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है। ग) जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभागों में इंटरनेट के माध्यम से अपनी वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं। → आरबीआई के अंतर्गत लॉगिन करें → मेरा मेनू → नीलामी फ़्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करें। वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करें। वाणिज्यिक बोली सहेजे जाने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। घ) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। ङ) ई-निविदा मंच पूर्व-घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा। च) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। उस विक्रेता द्वारा प्रस्तुत कोई भी बोली वैध मानी जाएगी और विक्रेता कानूनी रूप से बोली निष्पादित करने के लिए बाध्य है। छ) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाए, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

	ज) क्रेता बिना कोई कारण बताए, जैसा भी मामला हो, ई-निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। झ) ई-निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली प्रस्तुत करना ई-निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
5.	इस ई-निविदा से प्राप्त कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों व शर्तों द्वारा शासित होगा। वाणिज्यिक नियमों व शर्तों में किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। ई-निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली(ओं) की प्राप्ति की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है।
6.	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और www.mstcecommerce.com/eprocn पृष्ठ पर वीडियो देखें। तकनीकी सहायता के लिए, एमएसटीसी के अधिकारियों से 0471-2529137 पर पहले ही संपर्क किया जा सकता है और बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अंतिम समय में किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचें। एमएसटीसी से किसी भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होने पर, बोलीदाताओं को ई-निविदा समाप्ति तिथि से कम से कम एक दिन पहले एमएसटीसी से संपर्क करना चाहिए और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करवाना चाहिए।

****